Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur

Answer Script Details
Barcode 7760991

Roll No. 23261028043
Total Mark 47/75.00

Exam BACHELOR OF ARTS_DEC-2023
Subject A060101T - INDIAN NATIONAL MOVEMENT ANDCONS

Question wise Mark Summary

Q.No	Mark	Q.No	Mark	Q.No	Mark	Q.No	Mark
1A	3/5						
1B	3/5						
1C	3/5						
1D	3/5						
1E	3/5						
1F	3/5						
1G	3/5						
1H	3/5						
1I	3/5						
2	10/15						
3	NA/15						
4	NA/15						
5	NA/15						
6	NA/15						
7	NA/15						
8	10/15						
9	NA/15						

Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University
Kanpur, Uttar Pradesh

PART-I

Date of Exam: 18/12/23 Shift: 01 Room No.: 12

Paper Code: A0601011T Subject: Political Year/Sem: 1/1

Name of Candidate: Devansh Pandey

Roll No. 2 3 2 6 1 0 2 8 0 4 3

Signature of Candidate: Devansh Pandey

Signature of Invigilator

COE Facsimile

PART-II

MARKS OBTAINED										
Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(a)										
(b)										
(c)										
(d)										
(e)										
(f)										
(g)										
(h)										
(i)										
(j)										
Total										

Total Marks in Figures — Max. Marks

Total Marks in Words

A0601011T
Paper Code

Signature of Evaluator

PART-III

Course: BA - Ist

Session: 2023-24 Year/ Semester: 1/1

Subject Name: Indian national movement & Constitution of India

Medium: English ○ Hindi ●

Paper Code: A 0 6 0 1 0 1 T

Exam Date: 1 8 1 2 2 0 2 3

Name of Candidate: DEVANSH PANDEY

Father's Name: SATYAPRAKASH

महाविद्यालय का कोड
College Code: K N 0 4

परीक्षा केंद्र का कोड
Exam Centre Code: K N 0 4

परीक्षा का प्रकार
Type of Exam

संस्थागत Regular ● भूतपूर्व छात्र Ex-Student ○
व्यक्तिगत Private ○ बैक पेपर परीक्षा Back Paper Exam ○

ANSWER BOOKLET NO.

7760991

A0601011T
Paper Code

नामांकन संख्या
Enrollement Number: C S J M A 2 3 0 0 0 1 0 4 5 1 7

PART-IV

परीक्षार्थी अनुक्रमांक संख्या Candidate's Roll Number: 2 3 2 6 1 0 2 8 0 4 3

पेपर कोड Paper Code: A 0 6 0 1 0 1 T

Devansh Pandey
Signature of Candidate

Signature of Invigilator

C S Facsimile

COE Facsimile

नोट- 1. परीक्षार्थी को निर्देशित किया जाता है कि उत्तरपुस्तिका के पृष्ठ भाग पर अंकित सभी निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।
2. गोलक में भरी जाने वाली प्रविष्टियाँ काली स्याही के पेन से ही की जायें। 3. गोलों को काले या नीले बॉलपेन से भरा जायें।

INSTRUCTION TO THE CANDIDATE FOR FILLING PART-I

1. Read the instructions carefully given on the answer script and admit card.
2. Write Date of Exam, Shift, Paper Code & Name of Subject Correctly.
3. Write Name & Roll No. Correctly.
4. Write Semester & Branch Correctly.

INSTRUCTION TO THE CANDIDATE FOR FILLING PART-III

1. Use blue or black ball point pen for writing alphabets & numerals in boxes.
2. Carefully study the example before you start marking.
3. As shown in the example below, blacken the circles completely.

4. Make no Stray marks on this sheet.

5. DO NOT WRITE OR MARK ON THE BAR CODE.

IN ORDER TO AVOD UFM (UNFAIR MEANS) :

1. The Roll No. and Answer Book no. found elsewhere or any other symbol found in the answer book will be treated as unfair means.
2. Any tampering of Bar Code and Booklet no shall be treated as Unfair Means.
3. Do Not bring the materials like slip of paper/mobile/digital diaries/ study material/ revision notes in examination hall. Possession of the mobiles/ digital diaries/electronic/digital/ watch and any other electronic gadget except memory less scientific calculator shall be considered as UFM case.
4. Do not keep or paste currency note in answer script it shall be consider as UFM.

अनुचित साधन से बचने हेतु :

1. उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान को छोड़कर अनुक्रमांक एवं उत्तरपुस्तिका का क्रमांक कहीं और न लिखे तथा कोई भी चिन्ह न बनायें क्योंकि यह अनुचित साधन प्रयोग की परिधि में आता है।
2. उत्तर पुस्तिका के बारकोड अथवा उत्तर पुस्तिका संख्या पर छेड़ छाड़ करने पर अनुचित साधन प्रयोग माना जायेगा।
3. परीक्षा कक्ष में निम्न वस्तुएं साथ न लायें, जैसे लिखे हुए कागज के टुकड़े, मोबाईल, डिजिटल डायरी, डिजिटल वॉच, कापी, पुस्तक या सभी वस्तुएं जो अनुचित साधन के अन्तर्गत आती है। केवल [illegible] मेमोरी लेस साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति होगी।
4. उत्तर पुस्तिकाओं में रुपये न रखें न ही उत्तर पुस्तिका में चिपकायें। ऐसा करना अनुचित साधन प्रयोग की परिधि में आता है।

परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश

1. प्रवेश पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पर दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. कवर पृष्ठ के दूसरी तरफ कुछ न लिखें।
3. उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों पर दोनों तरफ लिखें।
4. प्रश्न पत्र पर अपने अनुक्रमांक के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
5. प्रश्न पत्र कोड एवं प्रश्न पत्र ID सावधानी पूर्वक लिखें।
6. अपनी स्थिति स्पष्ट लिखें।
7. उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की संख्या देखें। अगर उत्तर पुस्तिका में पृष्ठ (1-24) से कम है या कटे हुए है, तो परीक्षा शुरू होने के पूर्व दूसरी उत्तर पुस्तिका ले लें।
8. प्रश्नपत्र को देख, यदि प्रश्नपत्र के विषय कोड, विषय का नाम तथा प्रश्न में कोई त्रुटि है, तो उसकी परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट के अन्दर कक्ष निरीक्षक को तत्काल सूचित करें, उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा कोई सम[illegible] नहीं की जायेगी।
9. प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिये पेंसिल का प्रयोग न करें।
10. बी कॉपी या अतिरिक्त ग्राफ नहीं दिया जायेगा।

INSTRUCTION TO THE CANDIDATE

1. Read the instructions carefully given on the Question Paper, Admit Card & Answer Script.
2. Do not write anything on back side of the cover page.
3. Write on both sides of pages of answer book.
4. Do not write anything on question paper except Roll Number.
5. Write Paper Code & Question Paper Id carefully.
6. CHECK the number of pages (1-24) or any other kind of damage in your answer script, if found than change the answer script immediately before the commencement of examination.
7. CHECK the Question Paper for any kind of discrepancy e.g. Subject Code, Sub Name, and Question of the Question Paper during first THIRTY MINUTES of th commencement of the exam, so that it can be corrected in TIME. After that no corrections shall be entertained by the university.
8. Do not use pencil for answering the question.
9. Write status correctly e.g. those appearing in carry over papers should fill in statu as Carry Over. Those appearing as Ex- Students should fill in status as ex.
10. No supplementary answer book & gragh paper will be provided.

INSTRUCTION TO THE CANDIDATE FOR FILLING PART-IV

1. Use blue or black ball point pen for writing alphabets & numerals in ☐ Boxes.
2. Use blue or black ball point pen for filling the circles.

	1	8	1	5	4	3	2	1	6	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	●	1	●	1	1	1	1	●	1	1
2	2	2	2	2	2	2	●	2	2	2
3	3	3	3	3	3	●	3	3	3	3
4	4	4	4	4	●	4	4	4	4	4
5	5	5	5	●	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	●	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	●	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	●

Note- If your Roll No. is of 10 digits. Please leave first three columns .

Paper Code
A 0 6 0 1 0 1 T

1

खण्ड - अ

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 1(a)

1857 का स्वतंत्रता संग्राम :- सन् 1600 ई० से भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन चल रहा था। वे बुरी तरह से भारतीयों के साथ व्यवहार करते थे। ब्रिटिशों ने भारतीयों मे क्रोश उत्पन्न कर दिया। वे भारतीय किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। जिसके परिणामस्वरूप 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। ब्रिटिश भारतीयों से चर्बी के बने कारतूसों का प्रयोग करवाते थे। उनके वस्त्र बहुत नीले होते थे जिससे वे चल नहीं पाते थे। 1857 की क्रांति का अलग-अलग जगह से अलग-अलग क्रांतिकारी नेतृत्व कर रहे थे।

राष्ट्रवाद के उदय मे योगदान :- भारतीयों का आक्रोश इस ब्रिटिश नीति के कारण बढ़ता ही गया। जिससे भारतीयों ने कई जगहों से दंगे किए तथा धरना प्रदर्शन भी किया। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों ने भी राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। वे भारतीयों के अच्छा बर्ताव नहीं करते थे जिससे भारतीयों ने कई जगह से इसका नेतृत्व किया। उन्होंने 1885 मे एक अखिल भारतीय संस्था कांग्रेस की भी स्थापना की। अंतत: राष्ट्रवादी दो भागों मे बंटकर स्वतंत्रता संग्राम की ओर आगे बढ़े। और ये दो भाग गरम पंथ

तथा नरम पंथ थे।

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 1(b)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

भारत मे ब्रिटिश शासन के दुष्परिणाम के फलस्वरूप भारत की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। जिसके फलस्वरूप एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की आवश्यकता थी जो कि भारतीयों की एकजुट करने मे सफल योगदान निभाए। इसलिए सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने एक संस्था की स्थापना करने का निर्णय किया। सन 19[illegible] मे [illegible]ल्ली दरबार मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने [illegible]ज़म की स्थापना के लिए अपनी आवाज रखी। तथा उन्होंने कलकत्ता के विश्वविद्यालय के छात्रों को पत्र भी लिखा जिससे वे अपना योगदान देने के लिए राजी हो गए। परिणामस्वरूप सन 1885 ई॰ मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तेजपाल संस्कृत पाठशाला मे हुई। इसमे कई राष्ट्रवादियों ने योगदान दिया। और सन 1885 - 1905 ई॰ तक के राष्ट्रवादी उदारवादी धारा के थे जबकि सन 1905 ई॰ के बाद के राष्ट्रवादी उग्रवादी धारा के थे। उदारवादियों की नीतियों ने ही उग्रवादी को जन्म दिया।

Paper Code
A 0 6 0 1 0 1 T

3

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 1(c)

नागरिकता

नागरिकता को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 5-11 तक में रखा गया। नागरिकता यह बताती है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है और कौन नहीं। भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि नागरिकता तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो या उसके माता-पिता में से कोई एक या दोनों भारत में जन्मे हों। भारतीय नागरिकता को नागरिकता अधिनियम - 1955 के आधार पर 5 भागों में बाँटा गया है जो कि निम्न प्रकार है -

1. जन्म के आधार पर
2. अवजनन के आधार पर
3. पंजीयकरण के आधार पर
4. देशीयकरण के आधार पर
5. राज्य का भारत में जुड़ने पर

1. **जन्म के आधार पर :-** यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वह भारत का नागरिक होगा।

2. **अवजनन के आधार पर :-** यदि किसी व्यक्ति के माता-पिता में से कोई एक या दोनों भारत में जन्में हैं तो वे भारत का नागरिक होगा।

3. **पंजीयकरण के आधार पर :-** यदि कोई व्यक्ति भारत में पंजीयकरण करा लेता है कि वह

Do Not Write anything in this Portion

Paper Code A 0 6 0 1 0 1 T

भारत का नागरिक है तो वह भारत का नागरिक होगा

(4) देशीयकरण के आधार पर!- यदि व्यक्ति के पास यह प्रमाण पत्र है कि उस देश (भारत) का वह निवासी है तो वह भारत का नागरिक होगा।

(5) राज्य का भारत में जुड़ने पर!- यदि कोई राज्य भारत में मिल जाता है तो उसका व्यक्ति भारत का नागरिक होगा।

प्रश्नोत्तर क्रमांक ! (d)

मौलिक अधिकार

अनुच्छेद → 12-35

भाग → 03

भारतीय संविधान में भाग → 03 में, अनुच्छेद 12-35 के अंतर्गत कुछ अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिन्हें मनुष्य के मूल या मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है ये मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों के एक साथ प्राप्त होते हैं तथा ये समान रूप से सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं पहले भारतीय संविधान में 7 अधिकार हुआ करते थे परंतु बाद में 6. संपत्ति का अधिकार जोकि अनुच्छेद 31 में था को हटा दिया गया। और एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।

Paper Code
A 0 6 0 1 0 1 T

5

प्रकार

1) समानता का अधिकार
2) स्वतंत्रता का अधिकार
3) शोषण के विरुद्ध अधिकार
4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5) शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार
6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

1) **समानता का अधिकार**:- यह अनुच्छेद 14-18 तक में वर्णित है इसमें बताया गया है कि धर्म, जाति, नस्ल, भेद, वंश और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।

2) **स्वतंत्रता का अधिकार**:- यह अनुच्छेद 19-22 में वर्णित है जिसमें सभी के लिए स्वतंत्रता की बात कही गयी है।

3) **शोषण के विरुद्ध अधिकार**:- यह 23-24 अनुच्छेद में वर्णित है जिसमें बलात श्रम तथा मानव व्यापार पर रोक लगायी गयी है।

4) **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार**:- यह 25-28 अनुच्छेद में आता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है।

5) **शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार**:- यह अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की बात करता है यह अनु० 29-30 में वर्णित है।

6) **संवैधानिक उपचार का अधिकार**:- यह अनु० 32 में वर्णित है तथा मूल अधिकारों के हनन पर

Do Not Write anything in this Portion

न्यायालय जाने की बात करता है।

प्रश्नोत्तर क्रमांक!- 1(e)
नीति निदेशक तत्व

भाग :- 04
अनुच्छेद :- 36-55

यह नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36-55 में वर्णित है तथा भाग 04 में है यह किसी राज्य को कानून बनाने में जिन तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है के बारे में बताते हैं इन्हें राजनीतिज्ञों ने तीन भागों में बाँटा है।

1) **समाजवादी**!- समाजवादी नीति निदेशक तत्व किसी समाज के बारे में लाए गए कानून के बारे में प्रयोग किये गए निदेशक तत्वों के बारे में बताते हैं इसमें अनुच्छेद 39(A) 39(B), 39(C), 39(d), तथा 43(A) आदि अनुच्छेद आते हैं।

2) **उदारवादी**!- उदारवादी नीति निदेशक तत्व एक प्रकार से समानता की बात करते हैं इसमें अनुच्छेद 44, 40, 42, 45 आदि निदेशक तत्व आते हैं।

3) **गाँधीवादी**!- गाँधीवादी निदेशक तत्वों में गाँधी विचार धारा से जुड़े हुए निदेशक तत्व आते हैं जो कि 45, 46, 47, 41 आदि हैं।

Paper Code

A	0	6	0	1	0	1	T

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 1(f)

भारतीय संविधान एक सबसे लंबा तथा लिखित संविधान है। यह संविधान कई अन्य देशों के संविधानों के अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त रचनाओं से मिलकर बना हुआ है। इसे संविधान सभा ने निर्मित किया है संविधान सभा का गठन 1946 में आए कैबिनेट मिशन ने किया था। संविधान सभा ने इस भारतीय संविधान को 2 साल 11 माह 18 दिन में बनाकर तैयार किया था। यह संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है क्योंकि यह तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर बनाया गया है। यह मूल अधिकारों, मूल कर्त्तव्यों तथा नीति निदेशक तत्वों के बारे में विस्तृत वर्णन देता है।

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 1(g)

राष्ट्रपति भारतीय संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यह भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक के रूप में माना जाता है। राष्ट्रपति का वेतन अलग-अलग वर्षों में भिन्न रूप से बढ़ता तथा घटता गया है परंतु वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है जिसके अलावा राष्ट्रपति को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही तथा मंत्रीपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। यह अन्य सुविधाएं जैसे एक बंगला, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी आदि सुविधाएं भी प्राप्त करता है।

Do Not Write anything in this Portion

प्रश्नोत्तर क्रमांक:- 1(ख)

जिस प्रकार राष्ट्रपति भारत की संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य की संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। इसे राष्ट्रपति की तरह ही बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती है परंतु कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त होती है परंतु राज्यपाल को नहीं प्राप्त होती है। इसमें क्षमादान आदि भी आती है।

राज्यपाल की क्षमादान शक्ति:-

सजा कम करना:- यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो राज्यपाल के पास अपनी सजा कम करने के लिए आग्रह करता है तो राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वो उसकी सजा कम कर दे।

सजा को परिवर्तित कर देना:- यदि व्यक्ति अपनी सजा परिवर्तित करने के लिए आग्रह करता है तो राज्यपाल के पास सजा को परिवर्तित करने की शक्ति है।

सजा खत्म करना:- यदि व्यक्ति सजा खत्म करवाना चाहता है तो राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति से उसकी सजा कम कर सकता है

परंतु यह मृत्युदण्ड को परिवर्तित नहीं कर सकता है।

प्रश्नोत्तर क्रमांक:- 1(i)

भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है जिसमें तीन विषयों में यह विभाजित है विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। समवर्ती सूची का विषय विधायी विषयों के बंटवारे के अंतर्गत आते हैं। विधायी विषयों का बंटवारा तीन सूचियों में किया गया है।

1) केंद्र सूची
2) राज्य सूची
3) समवर्ती सूची

:- समवर्ती सूची:-

समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसके अंतर्गत राज्य तथा केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत विभिन्न विषयों को रखा गया है जो कि बैंकिंग, शिक्षा, सड़कें, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आदि विषय हैं। उसके अलावा केंद्र राष्ट्रपति शासन की स्थिति में भी इस पर कानून बना सकता है परंतु राज्य नहीं बना सकता है।

इस प्रकार समवर्ती सूची एक विधायी विषयों के रूप में विभाजित केंद्र व राज्य की एक शक्ति सूची है।

Paper Code
A 0 6 0 1 0 1 T

'खण्ड - ब'

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 2

भारतीय संविधान में सबसे पहले एक प्रस्तावना वर्णित ~~की~~ है जो कि नेहरू द्वारा दिये गये उद्देश्य प्रस्ताव से पूरी तरह प्रभावित है। इसमें पूरे भारतीय संविधान की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न रूप में है।

प्रस्तावना

हम भारत के ~~लोग~~ लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में -

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए उन सब नागरिकों में ~~राष्ट्र की एकता~~ व्यक्ति का गौरव तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए -

इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ई॰

(मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो 26 जनवरी 1950 के बाद में भी जोड़े गये वे शब्द हैं. समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखण्डता। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से समझ नहीं आते।

विश्लेषण ;.

हम भारत के लोग :- हम भारत के लोग से आशय है हम सभी एक ही नागरिकता रखते हैं जो कि भारतीय की है। यहाँ राज्य के अनुसार नागरिकता नहीं है वरन् केंद्र में हम एक एकल नागरिकता के अंतर्गत भारतीय हैं

प्रभुत्व संपन्न :- प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है वह किसी संविधान के अंतर्गत भी नहीं आता है।

समाजवादी :- समाजवादी शब्द से आशय है कि सभी समाज में रहने वाले एक समान हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तथा समाज में उपस्थित प्रत्येक नारी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए यह भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया।

Do Not Write anything in this Portion

पंथ निरपेक्ष:- पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को एक समान रूप से देखेगा। यह भी भारतीय संविधान में बाद में ही जोड़ा गया था।

लोकतंत्रात्मक:- लोकतंत्रात्मक शब्द से आशय है कि यहाँ अर्थात भारत में लोगों का, लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए शासन है अर्थात यहाँ जनता लोगों द्वारा चुनी जाती है।

गणराज्य:- गणराज्य शब्द से आशय है कि यहाँ भारत का एक मुखिया होगा जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना होगा जो कि राष्ट्रपति है।

न्याय:- न्याय एक संविधान के लिए आवश्यक तत्व है। भारतीय संविधान में भी न्याय के 3 प्रकार बताए गए है जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। यह न्याय शब्द सभी व्यक्तियों को अधिकारों की रक्षा करने में भी योगदान निभाती है।

समता:- समता शब्द समानता शब्द का ही पर्याय होता है इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बारे में बताया गया है यह शब्द सभी नागरिकों के बीच भेदभाव को समाप्त करता है। तथा सभी में बंधुत्व की भावना जागृत करता है।

Paper Code A060101T

स्वतंत्रता :- भारत संविधान में स्वतंत्रता के अनेक तत्व हैं जो सभी को उनकी स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आती है।

व्यक्ति का गौरव :- सभी व्यक्तियों का अपना एक गौरव होता है जो कि प्रस्तावना में वर्णित है कि गौरव को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाया जाएगा।

राष्ट्र की एकता और अखण्डता :- भारत राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है। यह कर्तव्य सभी को निभाना चाहिए। तथा इसे सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना चाहिए।

इस प्रकार भारत का संविधान सबसे लंबा तथा लिखित संविधान है जो कि प्रस्तावना में वर्णित है। बल्कि इसमें यह नहीं कहा गया है कि यह एक लंबा संविधान है परंतु उसमें इसके तत्वों व शब्दों का अध्ययन करके यह पता चल जाता है कि भारतीय संविधान एक सबसे लंबा तथा लिखित संविधान है।

इसमें मूल अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, नीति निदेशक तत्वों के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है।

Do Not Write anything in this Portion

Paper Code A O G O 1 O 1 T

'खण्ड-स'

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 8

उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय मे अंतर

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्याय व्यवस्था मे वह अंतिम द्वार है जो सभी न्यायालयों मे अपील के बाद सबसे अंत में आता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते है।

नियुक्ति

सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो कि अन्य न्यायाधीशो की सलाह से की जाती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है

योग्यताएँ

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए।

1) भारत का नागरिक हो।

2) किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक न्यायाधीश रहा हो।

3) किसी उच्च या अन्य न्यायालय में 10 वर्ष से वकील के पद पर रहा हो।

कार्य तथा शक्तियाँ / क्षेत्राधिकार

भारतीय संविधान में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय की निम्न क्षेत्राधिकार है-

1) मूल क्षेत्राधिकार
2) न्यायादेशीय क्षेत्राधिकार
3) अपीलीय क्षेत्राधिकार
4) सलाहकारी क्षेत्राधिकार
5) अभिलेखों का न्यायालय
6) न्यायिक समीक्षा की शक्ति
7) अन्य क्षेत्राधिकार

न्यायाधीशों का पद से हटना

न्यायाधीशों को पद से हटने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। इसके अलावा वे स्वयं त्याग पत्र भी दे सकते है।

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर उपस्थित होता है। उसमें राज्य से संबंधित निर्णय लिए जाते है यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जाने के साथ-2 उच्च न्यायालय भी जा सकता है।

Do Not Write anything in this Portion

नियुक्ति

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति राज्यपाल जोकि उस राज्य से संबंधित है तथा सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से करते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

योग्यताएं

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न अर्हताएं या योग्यताएं होनी आवश्यक होती हैं -

1) भारत का नागरिक हो।
2) अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो
3) अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के पद पर रहा हो।

कार्य/शक्तियाँ / क्षेत्राधिकार

भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय की निम्नलिखित कार्य, शक्तियां क्षेत्राधिकार बताए गए हैं -

1) मूल क्षेत्राधिकार
2) न्यायादेशिक (रिट) क्षेत्राधिकार

3) पर्यवेक्षीय क्षेत्रीय अधिकार
4) अपने अधीन न्यायालों पर नियंत्रण
5) न्यायिक समीक्षा की शक्ति
6) अभिलेखों का न्यायालय

न्यायाधीश को पद से हटाना

जिस प्रकार सह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा ही हराया जाता है ठीक उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी महाभियोग द्वारा हराया जाता है। तथा वह त्यागपत्र भी दे सकता है।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय एक केंद्रीय स्तर पर स्थित न्यायालय तथा राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय स्थित है।

Do Not Write anything in this Portion

Paper Code

Paper Code

Paper Code

20

Do Not Write anything in this Portion

Paper Code

21

Paper Code

22

Do Not Write anything in this Portion

Paper Code

23

Paper Code

24

Do Not Write anything in this Portion